पागसाल विभाग कल्याण

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	T.- 125/13 आज्ञा विस्तृत रूप से
	3/7/24	प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वकील कर्ता द्वारा मूल वाद में प्रार्थना 022R3 CPC स्वीकार के चुका है। वास्ते पेश करने संशोधित [illegible] व बहस T.J हेतु दि० 11/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	11/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलवाली [illegible] संशोधित उत्तर पेश। उत्तर पत्रावली वास्ते बहस T.J हेतु दिनांक 8/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	8/8/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य राज्य कार्य में [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/9/24 को पेश हों।
	11/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी [illegible] वहस प्रार्थी प्रा०पत्र दि०आई० सुनी गई। बहस अस्थाई निषेधाज्ञा व पत्रावली का सम अवलोकन अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला सुविधाजनक संतुलन और अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] दर्ज रजिस्टर [illegible] अग्रिम दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:19:40 IST
Reason: SelfAttested